



इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची

आई.आर.सी.टी.सी.ई-टिकटिंग सेवा (पर्सनल उपयोगकर्ता)



- यह टिकट मूल रूप में एक आईडी प्रूफ के साथ मान्य होगा। कृपया मूल रूप में आईडी प्रूफ के साथ यात्रा करें। कोई यात्री मूल आईडी प्रूफ के बिना यात्रा करता है, तो बिना टिकट माना जाएगा और वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार प्रभार शुल्क लगाया जाएगा।
- ई - टिकट के बुकिंग पर ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मान्य आईडी कार्ड:- मतदाता पहचान कार्ड / पासपोर्ट / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड / मान्यता प्राप्त स्कूल या कालेज के छात्र पहचान पत्र/ तस्वीर के साथ जारी राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक / तस्वीर के साथ जारी क्रेडिट कार्ड / आधार कार्ड।
- ई - टिकट के रद्दीकरण और धनवापसी के लिए ग्राहक द्वारा जनरल नियमों / सूचना का अध्ययन किया जाना चाहिए।



पीएनआर संख्या: 2131674206	गाड़ी संख्या एवं नाम : 22420/SUHAILDEV SF EXP	कोटा: TATKAL (TQ)
ट्रैजेक्शन संख्या: 100000840513316	बुकिंग की तिथि: 15-May-2017 11:04:05 HRS	श्रेणी: SLEEPER CLASS (SL)
कहाँ से: ANAND VIHAR TRM (ANVT)	यात्रा की तिथि: 16-May-2017	कहाँ तक: GHAZIPUR CITY (GCT)
गाड़ी में चढ़ने का स्टेशन: ANAND VIHAR TRM (ANVT)	गाड़ी में बैठने की तिथि: 16-May-2017	निर्धारित प्रस्थान समय: 16-May-2017 18:45 *
कहाँ तक आरक्षण: GHAZIPUR CITY (GCT)	निर्धारित आगमन समय: 17-May-2017 09:20 *	वयस्क: 2 बच्चे: 0
यात्री का मोबाइल नंबर: 9540990617	अविकल्प: नहीं/विकल्प चयन: नहीं	दूरी: 817 KM
यात्री का पता:	Daultabad-mohammadabad-Ghazipur, GHAZIPUR, UTTAR PRADESH - 233227	
नोट:-		

किराये का विवरण :

टिकट किराया **	₹ 1110.0	एक हजार एक सौ दस रुपये मात्र
आईआरसीटीसी सेवा प्रभार (सेवा कर सहित) #	₹ 0.0	जीरो रुपये मात्र
यात्रा बीमा प्रीमियम (सेवा कर सहित)	₹ 0.0	जीरो रुपये मात्र
कुल किराया (सब मिलाकर)	₹ 1110.0	एक हजार एक सौ दस रुपये मात्र

ई टिकट सेवा शुल्क प्रति टिकट यात्रियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना

यात्री का विवरण :

क्रम सं	नाम	आयु	लिंग	बुकिंग स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	UDAY NARAYAN	42	Male	CNF/S4/75/UPPER	CNF/S4/75/UPPER
2	GEETA	38	Female	CNF/S4/78/UPPER	CNF/S4/78/UPPER

यह टिकट वैयक्तिक उपयोगकर्ता पहचान पर बुक की गई है और किसी एजेंट द्वारा नहीं बेची जा सकती है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी एजेंट से खरीदी जाए तो यह उसके अपने जोखिम पर है.

टिकट मुद्रण का समय: 15-May-2017 11:05:10 HRS

क्या आप जानते हैं कि आपके किराये का 43% देश के आम नागरिक वहन करते हैं?

Are you aware that 43% of your fare is borne by the common citizens of the country?

[बिना विज्ञापन वाली आरक्षणपर्ची छापें ! \[X\]](#)

Secure Connection Failed

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :

- ई - टिकटिंग सेवाओं के नियम और शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया www.irctc.co.in विजिट करें।
- नई समय सारणी 1-Oct-2016 से प्रभावित है। ERS में छुपे प्रस्थान व आगमन समय, गाड़ी के वर्तमान प्रस्थान व आगमन समय में अन्तर हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले रेलवे पृष्ठताछ संख्या 139 पर फोन कर या 139 पर संदेश भेज कर सही प्रस्थान व आगमन समय सुनिश्चित कर लें।
- धन वापसी के नियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन हैं। धन वापसी के संशोधित नियम 12-11-2015 से लागू हैं। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर "धन वापसी नियम" -> "टिकट रद्दीकरण और वापसी नियम 12 नवंबर 2015 से प्रभावी" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।)
- आरक्षित वर्ष स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, और यह तभी वैध है जब कोई भी एक मूल पहचान पत्र यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यात्री के पास यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची की छायाप्रति / वर्चुअल/मोबाइल आरक्षण संदेश होनी अनिवार्य है, जो टीटीई के द्वारा यात्री के नाम रेलवे द्वारा बने चार्ट से सत्यापित किया जाता है। यदि यात्री के पास यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची/ वर्चुअल आरक्षण संदेश उपलब्ध नहीं है तो 50 रुपये शुल्क प्रति टिकट, टिकट जांच कर्मचारी द्वारा लिया जाएगा और उस के बदले में अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाएगी।
- आवेदक को इंटरनेट के माध्यम से अपनी टिकट www.irctc.co.in पर रद्द करने की अनुमति है।
- वह पी एन आर जो की पूर्णतया प्रतीक्षासूची में है, उन यात्रियों का नाम चार्ट पर नहीं दिखेगा। उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। परन्तु आंशिक रूप से प्रतीक्षासूचीबद्ध/कन्फर्म/आरएसी सूची वाले यात्रियों का नाम चार्ट पर होंगे।
- आंशिक रूप से प्रतीक्षासूची ई-टिकट के मामले में टीटीई/ कंडक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, (A)बुक यात्री के यात्रा न करने पर, (B)एसी काम नहीं करने पर, (C)निम्न श्रेणी में यात्रा करने पर। धनवापसी का दावा करने के लिए ऑन लाइन टी डी आर निर्धारित समय में दर्ज कर टीटीई से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र GGM (आईटी), आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिज्डिंग, स्टेट एंटी रोड नई दिल्ली 110055 पर भेजा जाना चाहिए।
- किसी यात्री का ई टिकट आंशिक रूप से प्रतीक्षासूची ई टिकट/आरएसी/पूर्णतया प्रतीक्षासूची और बह यात्रा नहीं करता तो उन सभी यात्रियों को ऑन लाइन टी डी आर रेलवे धन वापसी के नियमों के अनुसार निर्धारित समय में दर्ज किया जाना चाहिए। धन वापसी रेलवे धन वापसी नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जायेगी।
- आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर टी डी आर धनवापसी का अनुरोध पंजीकृत करने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा, धन वापसी नियमों के अनुसार कारवाई की जाती है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर सामान्य सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।)
- प्रीमियम स्पेशल ट्रेन के टिकट पर रद्दीकरण की अनुमति नहीं है।
- कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। लेकिन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले रद्द की गई टिकट पर ही धनवापसी होगी।

12. आरएसी/आंशिक कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। हालांकि धनवापसी रेलवे के मौजूदा धनवापसी प्रावधानों के तहत होगी।
13. एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दसा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षासूचि में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधधीन अनुज्ञेय होगा की ये टिकट ऑनलाइन रद्द करेंगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टी डी आर फाइल करेंगे।
14. सुविधा ट्रेन में, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से या चार्ट बनने तक जो भी पहले हो उस समय से 6 घंटे पहले तक पुष्टीकृत / आरएसी टिकट को रद्द करने पर केवल 50%धन वापसी का प्रवधान है।
15. ट्रेन रद्द होने की स्थिति में स्वचालित प्रणाली द्वारा पूर्ण धन वापिस किया जाएगा। यदि ट्रेन अपने गंतव्य से आंशिक रूप से रद्द है तो यात्री को अपने बॉर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटों के भीतर टीडीआर दर्ज करना होगा।
16. यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के समय ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करे और ट्रेन में धूम्रपान वर्जित है।
17. ग्राहक सहायता के लिए सम्पर्क करे: 24x7 Hrs. 011-23340000/011-39340000, चैलई ग्राहक सहायता: 044-25300000 या ई-मेल करे care@irctc.co.in
18. 1500 से अधिक ट्रेनों में भोजन के लिए विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। अपनी सीट पर अपने पसंदीदा भोजन की डिलीवरी पाने के लिए www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोलफ्री नंबर 1323 पर कॉल करें। खान पान सेवाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुझाव एवं शिकायत के लिये कृपया टोल फ्री नंबर 1800-111-321/1322 (07.00 प्रातः से 11.00 रात्रि) पर संपर्क करे।
19. रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182
20. भारतीय पैसेंजर हेल्पलाइन नंबर 138
21. पीएनआर और ट्रेन आगमन / प्रस्थान जानकारी नंबर 139
22. यात्रा के दौरान परेशानी की स्थिति में रिपोर्ट करने के लिए, रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 डायल करें।
23. सभी दिए गए नियम और शर्तें तभी लागू होंगे जबकि यात्रा बीमा सुविधा का विकल्प चुना गया हो। कृपया www.irctc.co.in वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध यात्रा बीमा नियम और शर्तों को देखें।
24. कभी भी अनधिकृत एजेंट या व्यक्ति जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजी आईडी का प्रयोग कर रहे हैं उनसे ई-टिकट न खरीदें। इस तरह की टिकट भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 143 के तहत रद्द करने और बिना धनवापसी किए जल्द करने योग्य होगी। अधिकृत एजेंट की सूची www.irctc.com पर उपलब्ध है ई-टिकट एजेंट लोकेटर